

FORM NO. III

APP 3
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,

जिला- बुन्दी (राज.)

बाबूलाल

मुकाम

बनाम

बृजमोहन

किस्म मुकदमा

सं. 152/प्रठपत्र/2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | संख्या व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 7/9/21 | <p>वाद पत्र/ प्रत्युत्तर पत्र अन्तर्गत धारा 212 Cr.P.C. द्वारा वकील ने राजेंद्र सिंह सोलेकी पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अन्तर्गत धारा 173(1) ब. व. 3(1) के तहत जज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्राधीगण को पेश किया जाकर दि. 10.11.21 को पेश हो।</p> | <p>प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट ऑफिस जारी</p> |
| 10-11-21 | <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट ऑफिस में आज पेश हुई। प्रभुकारान ने मूलवाद में राजीनामा हेतु अपनी पत्र प्रस्तुत किया है। मूलवाद में राजीनामा के आधार पर निर्णय हो जाने से यह आवर्तना पत्र स्मरहीन होने से खारिज किया जाता है।-निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तक्राल मूलवाद सं. 117/2021 के साथ संलग्न रहे।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
बुन्दी (बुन्दी)

